दिनांक 18.12.2019 को राज्य निःशक्ता आयुक्त, पटना, बिहार तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार, नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार द्वारा कटिहार नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन, शहर में स्थित मॉल, शौपिंग कॉम्पलेक्स, बड़े दुकानों, समुदायिक भवनों, होटलों, स्कूलों एवं महाविद्यालयों के भ्रमण के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में दिव्यांगजनो के हितो, मूलभूत सुविधाओं के बहाली के निमित्त लिये गये निर्णय।

1. कटिहार रेलवे स्टेशन दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित टिकट काउण्टर पर रैलिंग और रेल सुगम नही था। रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगजनों की सुविधाओं को चिन्हित करने हेतु Proper signage नही था। शौचालय एवं स्नानागार के पास रैम्प का आभाव था। प्लेटफार्म पर दिव्यांगजनों के बैठने हेतु कोई स्थल निर्धारित नही था। साथ ही प्लेटफार्म पर दिव्यांगजनों हेतु ट्रेन की बोंगी कहा रूकेगी इस बारे में कोई भी चिन्ह नही दर्शाया गया था। फुड काउण्टर सभी दिव्यांगजनों हेतु शुगम नही था। राज्य आयोग निःशक्तता, बिहार, पटना द्वारा उपरोक्त विसंगतियों को साठ कार्यदिवस के अन्तर्गत निराकरण करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन स्टेशन अधीक्षक, कटिहार द्वारा देने का निर्णय लिया गया।

   (अनुपालनः स्टेशन अधीक्षक, कटिहार रेलवे स्टेशन/अनुपालन की समय सीमा साठ कार्यदिवस)

2. कटिहार शहर स्थित बड़े शॉपिंग मॉल, दुकान, होटल यथा–आई ईण्डिया मॉल, न्यू मार्केट रोड, कटिहार के भ्रमण के दौरान दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया जो कि The Rights of person with Disability acts 2016 के Section-3 एवं Section-40 का उल्लंघन है। उपरोक्त वर्णित अधिकांश भवनों में दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा–रैम्प (रेलिंग सहित), पार्किंग सुविधा, उपरी तल पर जाने हेतु रैम्प अथवा लिफ्ट, दिव्यांगजनों हेतु अलग से सुगम काउंटर, शौचालय, यूरिनल के अन्दर तक व्हील चेयर से पहुँचने की सुगमता एवं कॅमोड की सुविधा का अभाव पाया गया। साथ ही बड़े मॉल में कम से कम 5 प्रतिशत स्टॉफ दिव्यांगजन के रूप में कार्यरत नही थे। दिव्यांग ग्राहकों के बैठने हेतु तथा उनके सुविधाओं को इंगित करने हेतु चिन्ह (यथा–लिफ्ट में ब्रेल बटन) इत्यादि नही दर्शाए गए थे। आयुक्त महोदय द्वारा इससे नाखुशी जताई गई इसी तरह अन्य शहर के मॉल यथा–सिटी कार्ट, मॉल (बाटा चौक के पास) एवं अन्य मॉल, डा0 एन0के0झा नर्सिंग होम (कालीबाड़ी मोर के पास) में भी इन सभी सुविधाओं को 30 दिनांक के अन्दर दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया तथा उपरोक्त खामियों को 30 दिनों के अन्दर निराकरण करने का निर्देश दिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा शॉपिंग मॉल, होटल इत्यादि चलाने हेतु आवश्यक सभी तरह के अनुज्ञप्ति यथा (Trade licence, Food safety licence, Fire Safety licence, Weight & Measurement licence, Light & Sound हेतु N.O.C) इत्यादि सभी जरूरी अनुज्ञप्ति की जॉच की गई तथा उसे Up to date/Renewal कराने तथा नही होने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

   (अनुपालन– सभी शॉपिंग मॉल, होटल, बडे दुकान, मैरेज हॉल, रेस्टुरेन्ट, नर्सिंग होम आदि। अनुपालन की समय सीमा–30 कार्य दिवस)

(3) कटिहार शहर स्थित सरकारी/निजी महाविद्यालय, विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान यथा– डी0एस0 कॉलेज, कटिहार, के0बी0झा0 कॉलेज, एम0बी0टी0 ईस्लामिया हाई स्कुल, राम कृष्ण मिशन विद्या मंदिर, चामलिंग वोर्डिंग स्कूल, कोशी कॉलोनी, कटिहार इत्यादि में भी दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूल भूत सुविधाओं का अभाव पाया गया। दिव्यांजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा– रैम्प (रेलिंग सहित) दिव्यांगजनों हेतु अलग से सुगम क़ाउंटर, शौचालय, यूरिलन के अन्दर तक व्हील चेयर से पहुँचने की सुगमता एवं कॅमोड की सुविधा का अभाव पाया गया।

लगातार............/02

Scanned with CamScanner

दिव्यांगजनों के बैठने हेतु कोई स्थल निर्धारित नही था। आयुक्त महोदय द्वारा इससे नाखुशी जताई गई तथा उपरोक्त खामियों को 60 दिनों के अन्दर निराकरण करने का निर्देश दिया गया।

(4) राजस्थान होटल, कटिहार में लिफ्ट ठीक कर चौड़ाई बठाने, कमरों में शौचालय ऊँचाई पर बना था जिसे प्लेन करने, होटल प्रवेश द्वार पर रैम्प की व्यवस्था करने, पार्किंग स्थल चिन्हित करने का निर्देश प्राप्त है। I-India मॉल में रैम्प नही था। 20 से अधिक कर्मी कार्य करने पर एक दिव्यांग को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश प्राप्त है। चामलिंग वोर्डिंग स्कूल, कोशी कॉलोनी, कटिहार में रैम्प की व्यवस्था नही था, Class room में दिव्यांग बच्चो के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नही थी, भोजनालय में दिव्यांग बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नही थी। Ground Flour से First Flour पर जाने के लिए रैम्प या लिफ्ट की व्यवस्था नही थी।

(अनुपालन–संबंधित संस्थाएँ एवं विभाग / समय सीमा 60 कार्य दिवस)

उपरोक्त वर्णित सभी बिन्दुओं के अनुपालन हेतु राज्य आयुक्त निःशुक्तता, पटना, बिहार द्वारा निर्देश प्राप्त है।

सहायक अभियंता नगर निगम, कटिहार।	सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार।	नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार।	अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार।

Scanned with CamScanner